

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

21 जुलाई, 2018 (ई०)

शनिवार, तिथि-

[त्रयोदश (मानसून) सत्र]

30 आषाढ़, 1940 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- (04)- श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018, 18.07.2018, 19.07.2018 एवं 20.07.2018 से स्थगित)
- (05)- श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018, 18.07.2018, 19.07.2018 एवं 20.07.2018 से स्थगित)
- (06)- श्री अशोक कुमार एवं श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018, 18.07.2018, 19.07.2018 एवं 20.07.2018 से स्थगित)
- (07)- श्रीमती सीमा देवी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018, 18.07.2018, 19.07.2018 एवं 20.07.2018 से स्थगित)
- (08)- श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018, 18.07.2018, 19.07.2018 एवं 20.07.2018 से स्थगित)

कृ०पृ०३०/-

- (09)- श्री नागेन्द्र महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18.07.2018,19.07.2018 एवं 20.07.2018से स्थगित)
- (10)-श्री राज सिन्हा,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18.07.2018,19.07.2018 एवं 20.07.2018से स्थगित)
- (11)-श्री कुणाल षडंगी,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (विधि विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18.07.2018,19.07.2018 एवं 20.07.2018से स्थगित)
- (12)- श्री अरुण चटर्जी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18.07.2018,19.07.2018 एवं 20.07.2018से स्थगित)
- (13)- श्रीमती विमला प्रधान,श्री राधाकृष्ण किशोर एवं श्री राम कुमार पाहन स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18.07.2018,19.07.2018 एवं 20.07.2018से स्थगित)
- (14)- श्री स्टीफन मराण्डी ,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.07.2018 एवं 20.07.2018से स्थगित)
- (15)-श्रीमती गंगोत्री कुजूर एवं ग्लेन जोसेफ ग्लॉस्टीन,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.07.2018 एवं 20.07.2018से स्थगित)
- (16)-श्री अनन्त कुमार ओझा,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.07.2018 एवं 20.07.2018से स्थगित)
- (17)- सर्वश्री भानू प्रताप शाही,प्रकाश राम एवं श्री इरफान अंसारी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.07.2018 एवं 20.07.2018से स्थगित)
- (18)- श्री आलमगीर आलम,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.07.2018 एवं 20.07.2018से स्थगित)

- (19)-श्री रवीन्द्रनाथ महतो एवं श्री (स्टीफन मराण्डी,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-20.07.2018 से स्थगित)
- (20)-श्री बादल,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-20.07.2018 से स्थगित)
- (21)- श्रीमती मेनका सरदार,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-20.07.2018 से स्थगित)
- (22)- श्री नागेन्द्र महतो,श्री जयप्रकाश वर्मा एवं श्रीमती गंगोत्री कुजूर,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-20.07.2018 से स्थगित)
- (23)- श्री बिरंची नारायण,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-20.07.2018 से स्थगित)
- (24)-श्री अरूप चटर्जी एवं श्री राज कुमार यादव,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (25)-श्री दीपक बिरुवा एवं श्री निरल पुरती,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उसपर सरकार(राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (26)-श्री अमित कुमार मंडल,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (27)-सर्वश्री शिव शंकर उरांव,लक्ष्मण टुडू एवं श्रीमती गंगोत्री कुजूर,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(पर्यटन,कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (28)-सर्वश्री राम कुमार पाहन,श्री मनीष जयसवाल एवं डॉ० जीतू चरण राम, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)की ओर से वक्तव्य।

--: समितियों का गठन :-

(29)- झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

--: सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

(30)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(31)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

--: विधायी कार्य :-

झारखण्ड वित्त विधेयक, 2018

(32)-राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी,प्रस्ताव करेंगे कि " झारखण्ड वित्त विधेयक,2018" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(33)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(34)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी,प्रस्ताव करेंगे कि " झारखण्ड वित्त विधेयक,2018" पर विचार हो।

(35)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड वित्त विधेयक,2018" स्वीकृत हो।

नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

(36)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि " नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय विधेयक,2018"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(37)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।

(38)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव,प्रस्ताव करेंगी कि "नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय विधेयक,2018"पर विचार हो।

(39)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव,प्रस्ताव करेंगी कि " नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय विधेयक,2018" स्वीकृत हो।

रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

- (40)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (41)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (42)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" पर विचार हो।
- (43)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" स्वीकृत हो।

राधा गोविन्द विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

- (44)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "राधा गोविन्द विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (45)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (46)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "राधा गोविन्द विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" पर विचार हो।
- (47)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "राधा गोविन्द विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" स्वीकृत हो।

झारखण्ड राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

- (48)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "झारखण्ड राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (49)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।

(50)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "झारखण्ड राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" पर विचार हो।

(51)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "झारखण्ड राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" स्वीकृत हो।

**राम कृष्ण धर्माथ फाउन्डेशन (आर०के०डी०एफ०) विश्वविद्यालय
विधेयक, 2018**

(52)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "राम कृष्ण धर्माथ फाउन्डेशन (आर०के०डी०एफ०) विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(53)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।

(54)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "राम कृष्ण धर्माथ फाउन्डेशन (आर०के०डी०एफ०) विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" पर विचार हो।

(55)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि "राम कृष्ण धर्माथ फाउन्डेशन (आर०के०डी०एफ०) विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" स्वीकृत हो।

-: गैर-सरकारी संकल्प :-

(56)- लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प।
(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

-: प्रश्नों के संबंध में विवरण :-

(57)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।

(58)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

(59)- अध्यक्ष का समापन भाषण।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०१८-३५१९/वि०स०,राँची,दिनांक-२०१७/१८
प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/
माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/
महाधिवक्ता,झारखण्ड,राँची/लोकसभा,नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरोज कुमार
२०/११/१८
(सरोज कुमार)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।
ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०१८-३५१९/वि०स०,राँची,दिनांक-२०१७/१८
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय
को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सरोज कुमार
२०/११/१८
(सरोज कुमार)

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।
ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०१८-३५१९/वि०स०,राँची,दिनांक-२०१७/१८
प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/
पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरोज कुमार
२०/११/१८
(सरोज कुमार)

राजेन्द्र

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।
२०/११/१८

-: प्रकाशित तिथि:-

प्रकाशित तिथि:-

-: प्रकाशित तिथि:-

प्रकाशित तिथि:-

राजेन्द्र
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची